सवाल संख्या- 449

शब्द लगभग 450

मण्डल:- मेरठ,जनपद:- मेरठ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
वाद संख्या:- 2256/2021

सरकार बनाम जाकिर

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202111520225 6
अंतर्गत धारा:- 3/4,उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1970
नकल आदेश **आदेश तिथि:- 12/12/2022** दि: 12/12/2022

अंतिम आदेश

सत्य प्रतिलिपि

निर्णय

गुण्डा एक्ट की प्रस्तुत कार्यवाही विपक्षी जाकिर पुत्र मुनकाद निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ की आख्या, जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर देहात, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ की संस्तुति भी की गयी है, के आधार पर प्रारम्भ की गयी। आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। जनता में इसका भय आंतक व्याप्त है जनता का कोई व्यक्ति इसके विरूद्ध पुलिस को गवाही अथवा सूचना देने को तैयार नहीं है। अभियुक्त का समाज में घूमना जनहित के लिए हानिकारक है। अभियुक्त के विरूद्ध 3/4 गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। अभियुक्त का पुलिस आख्या में निम्नलिखित अपराधिक इतिहास दर्शाया है:-

1-मु0अ0सं0 270/20 धारा 5/8 गौवध अधिनियम

2-बीट सूचना 18 दिनांक 04.04.2021

प्रश्नगत कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। उक्त
आख्या का संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.06.2021 निर्गत किया गया।
अभियोजन पक्ष द्वारा विपक्षी पर नोटिस की तामील करायी गयी है। तामिल उपरान्त विपक्षी न्यायालय में हाजिर हुआ तथा
पत्रावली में लिखित में कोई आपत्ति/अभिलेखयी साक्ष्य प्रत्रावली प्रस्तुत नही की गई।

मेरे द्वारा विपक्षी व अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से
स्पष्ट है कि थाना पर विपक्षी के विरूद्ध मु0अ0सं0 270/20 धारा 5/8 गौवध अधिनियम का अभियोग व बीट सूचना 18
दिनांक 04.04.2021 पंजीकृत हैं जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा विपक्षी के विरूद्ध धारा 3/4 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही हेतु
आख्या प्रेषित की है। जांच अधिकारी द्वारा विपक्षी का उक्त मुकदमे में संलिप्त होने के कारण आरोप पत्र संख्या 325/2020 दिनांक
27.09.2020 को सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। जिससे क्षेत्र में
भय एवं आतंक व्याप्त होता है तथा शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रभारी निरीक्षक ने अपनी आख्या के
साथ जांच बीट सूचना भी संलग्न की है। विपक्षी ने स्वंय बहस के दौरान उपस्थित होकर अवगत कराया कि पुलिस द्वारा विपक्षी को
झूठ फंसाया गया है। विपक्षी कभी-कभी गांव में आता है। कुछ गांव के लोग विपक्षी के परिवार से रंजिश रखते है। विपक्षी द्वारा
अपनी कथनों के साथ से कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है। विपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा
कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया हे जिससे सिद्ध हो कि विपक्षी गुण्डा की परिधि में नही आता है तथा विपक्षी से क्षेत्र में कोई भंय व
आतंक व्याप्त नही है तथा पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि विपक्षी गौवध जैसी घटना में
संलिप्त रहा है जो शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत सही नही है तथा विपक्षी गुण्डा की परिधि में आता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के विरूद्ध गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति का स्वतन्त्र रहना समाज व कानून
व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। विपक्षी का जनपद की सीमा में रहना उचित नही है। विपक्षी को जिला बदर किया
जाना उचित होगा। अतः विपक्षी को गुण्डा अवधारित करने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी जाकिर पुत्र मुनकाद निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ बडा गांव थाना परीक्षितगढ
जनपद मेरठ को गुण्डा अवधारित करते हुए जनपद मेरठ की सीमा से 03 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। अभियुक्त का
यदि किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक हो तो उन न्यायालय में उपस्थित होने
हेतु उक्त अभियुक्त को धारा-4 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह न्यायालय में उपस्थित होकर
न्यायिक कार्य सम्पादन होने के उपरान्त जनपद की सीमा से बाहर चले जायेगें। यदि जनपद की सीमा में पाया गया तो प्रभारी
निरीक्षक/थानाध्यक्ष विपक्षी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक मेरठ/प्रभारी निरीक्षक थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक
कार्यवाही अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक-12/12/2022

स्टाम्प शुल्क..14200
प्रा० पत्र का दिनांक 12/12/22
तैयारी का दिनांक 12/12/22
जारी का दिनांक 12/12/2022

(अमित कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

प्रमाणित
12.12.22
अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)
मेरठ।

(अमित कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ।